न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 285/2018

पवन कुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. अधिशांषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
3. इमानती देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ़
4. सुमन पुत्री स्व. रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ़
5. आनन्द कुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री श्याम सुन्दर चुघ, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 1
3. पैरोकार राज
4. श्री अमित सैनी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3 ता 5

:: निर्णय :: दिनांकः– 11.11.2021

1. अपील मीमों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 4 व 5 के पिता व रेस्पो. संख्या 3 के पति रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र बिश्नोई साकिन मानकसर को रोही मानकसर के खसरा नम्बर 263 में 40 बीघा रकबा दिनांक 27.07.1982 को टी.सी. आवंटन होकर पट्टा न. 11 जारी हुआ तथा मौका पर आवंटित भूमि का कब्जा दे दिया गया था। आवंटन से लेकर आज तक पहले अपीलान्ट के पिता का व दिनांक 14.12.2013 को पिता के स्वर्गवास होने के बाद अपीलान्ट व रेस्पो. 3 ता 5 का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा हैं। अपीलान्ट के पति/पिता को अपने पिता रामचन्द्र से 2.09 बीघा भूमि नहरी व 4.17 बीघा भूमि नोशनल शेयर में आई जो करीब 10 बीघा अनकमाण्ड के बराबर होने से अपीलान्ट के पिता 40 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन करवाने के पात्र थे। आराजी काश्त के पट्टा का नवीनीकरण वर्षो तक होता रहा तथा रकम कायम होती रही। जैरअपील रकबा शुरू में उपनिवेशन विभाग मे था। वर्ष 1989 में अपीलान्ट के पिता ने टी.सी. पर आवंटित भूमि को पुख्ता आवंटन करवाने बाबत आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र व फोटो फार्म व परिचय पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ को भेज कर अपीलान्ट के पिता को उनके पिता से आने वाली भूमि के हिस्सा का विवरण, पेशा काश्तकारी व मानकसर गांव का रहने का साक्ष्य व कब्जा काश्त बाबत विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी हल्का मानकसर व तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट आई कि अपीलान्ट के पिता रामस्वरूप को वर्ष 1982 में रोही मानकसर के खसरा नम्बर 263 में 40 बीघा रकबा आराजी काश्त पर आवंटन होकर पट्टा जारी कर कब्जा दे दिया गया था तब से आंवटित भूमि का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा हैं। फोटो फार्म कम परिचय पत्र में पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पचांयत द्वारा आंवटी की पहचान करने के बाद 40 बीघा टी.सी. की भूमि को पुख्ता आवंटन किये जाने की अनुशंषा आवंटन अधिकारी को की गई। जब रकबा टी.सी. से पुख्ता आवंटन उपखण्ड कार्यालय में आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमेटी के समक्ष किया जा रहा था तो उस दिन टी.सी. आवंटी अधिक होने की वजह से अपीलान्ट के पिता को पुख्ता आवंटन करने बाबत नम्बर नहीं आया व पत्रावलियों को आगे किसी दिन पुख्ता आवंटन करने बाबत पेन्डिग रख दी गई व बाद में मानकसर गावं की आवंटन कमेटी गठित नहीं होने से रकबा पुख्ता आवंटित नहीं हो सका। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह कथन भी किया गया हैं कि अपीलान्ट के पिता को जैरअपील टी.सी. आवंटन का रकबा काफी समय तक पुख्ता आवंटन नहीं किया तो उन्होने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका लगाई जो सीविल रिट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

पेटिशन न. 992/1994 पर ब अनवानी रामस्वरूप बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर श्रीगंगानगर व अन्य पर दर्ज की जाकर सुनवाई की गई जिसमें पिटीशनकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि उसको आराजी काश्त पर आवंटित भूमि को कीमतन पुख्ता आवंटन करने का नियमों में प्रावधान हैं परन्तु आवंटन न किया जाकर आवंटन पत्रावली आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के कार्यालय में पेन्डिग पड़ी हैं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने पिटीशनर की सीविल रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया कि रिट का रेस्पो. 2 तीन माह में भूमि आवंटन संबंधी नियमानुसार निर्णय पारित करे व रेस्पो. 3 तहसीलदार सूरतगढ़ को पाबन्द किया गया कि जब तक पत्रावली का निर्णय नहीं होता, पिटीशनर को रोही मानकसर के खसरा नम्बर 263 की 40 बीघा भूमि से डिसपजेश नहीं करे। राजस्थान सरकार के राजस्व(उपनिवेशन) विभाग द्वारा क्रमांक –प–3(9)उप/2007 जयपुर दिनांक 25 जनवरी 2008 के द्वारा अधिसूचना जारी कर रोही मानकसर का बारानी रकबा उपनिवेशन विभाग से प्रत्याहत(बाहर निकाल) कर दिया। रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर कर देने से जैरअपील रकबा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रभाव (अधीन) में 5आ गया जिससे उपनिवेशन विभाग में जो रकबा आराजी काश्त पर आवंटन था वह रकबा राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन– Revenue(GR-VI Department no. F9(77) rev-6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 के द्वारा वह आवंटन नियम 1970 के तहत तहसीलदार से खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का पात्र मान लिया गया हैं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार के राजस्व(उपनिवेशन) विभाग के पत्र क्रंमाक– प 4(2)उप/2005/जयपुर दिनांक 02.01.2008 के द्वारा आदेश जारी किया गया हैं कि " इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 में अस्थाई कृषि पट्टा धारक को खातेदारी अधिकार देने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थाई आवंटन नहीं किया जाता हैं बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता हैं व बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थाई कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारो को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।" अतः ऐसे प्रकरणों में उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार कार्यवाही की जावे, का आदेश आ जाने से अपीलान्ट का पिता जैरअपील भूमि का गैरखातेदारी की श्रेणी का काश्तकार वर्ष 2007–08 में ही हो गया था। अपीलान्ट के पिता का टी.सी. आवंटन कभी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आज तक खारिज नहीं किया गया। टी.सी. आवंटन/गैरखातेदारी खारिज किये बिना अचानक ही गैरखातेदारी रकबा का जैरअपील इन्तकाल न. 111 दिनांक 03.11.2011 के द्वारा नगरपालिका सूरतगढ़ कर्मचारी आवासीय (रेवेन्यू) कॉलोनी सूरतगढ़ के नाम खसरा नम्बर 263 की 7.843 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई जो शुरू से ही गैरकानूनी व रिकार्ड के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट का यह भी कथन हैं कि पिछले 40–42 वर्षो से कड़ी मेहनत व भारी खर्चा लगाकर भूमि को बजड़ से काश्त के योग्य बनाया हैं।अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2013 को हो जाने के पश्चात् भूमि का कब्जा अपीलान्ट व रेस्पो. 3 ता 5 के पास चला आ रहा है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 4च के अनुसार काश्तकार की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारी को भी सम्मिलित किया गया हैं व राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना "राजस्थान सरकार उपनिवेशन अधिनियम क्रमांक–एफ 4–24/उप/99/ जयपुर दिनांक 15.09.2001 में माना हैं कि अस्थाई कृषि पट्टा धारक की मृत्यु के पश्चात् टी.सी. सम्बन्धी भूमि उनके वारिसान को भी काश्तकार (टिनेन्ट) की परिभाषा में माना गया हैं। उन्हें अस्थाई कृषि पट्टा धारक ही माना जावेगा। अस्थाई कृषि पट्टा धारक की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसों को आवंटन किया जा सकता हैं, के निर्देश दिये गये हैं। इस बाबत जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा भी दिनांक 22.10.2001 को पत्र जारी किया गया है। अपील के साथ अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार करने के लिए धारा 96 सीपीसी 1908 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता को कोई सूचना नहीं दी व न ही सुना गया। अपीलान्ट का अपने पिता को आवंटित भूमि में पुत्र होने के नाते प्रथम श्रेणी का जायज वारिस हैं व जैरअपील भूमि में विरासतन हक होने से प्रभावित पीड़ित पक्षकार होने से अपील पेश करने की स्वीकृति चाही हैं। इसी प्रकार मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि फैंसले की जानकारी दिनांक 19.06.2018 को इन्तकाल की नकल लेने पर होने से मानी जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील को समय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

अवधि में शुमार कर निर्णय गुण व दोष के आधार पर किया जावे। जैरअपील इन्तकाल अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया हैं जिस पर अपील प्रस्तुत करने में कोई समय सीमा नहीं हैं।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किये गये। रेस्पो. की तरफ से विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये। अधिवक्ता रेस्पो. न. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद कानून व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर इन प्रार्थना पत्रों में अपीलान्ट द्वारा दर्ज बिन्दुओं का खण्डन किया व अपील मियाद बाहर होने से व गुणावगुण पर भी खारिज किये जाने का निवेदन किया। रेस्पो. संख्या 3 ता 5 ने लिखित में अपील को स्वीकार करने का जवाब प्रस्तुत किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में दर्ज बिन्दुओं को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता को वर्ष 1982 में हुआ, टी.सी. आवंटन कभी खारिज नहीं हुआ। वर्ष 2008 में यह रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर निकाल देने से रकबा राजस्व विभाग में आने से गैर खातेदारी की श्रेणी में आ गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना न कर अदालत के आदेश की अवहेलना की गई हैं जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। रकबा रोही मानकसर ग्राम पंचायत क्षेत्र का हैं, तहसीलदार को कृषि योग्य पंचायत क्षेत्र की भूमि नगरपालिका के लिए आवासीय क्षेत्र में परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं, भू–राजस्व अधिनियम में निश्चित प्रक्रिया के तहत जिला कलक्टर ही भूमि की किस्म परिवर्तन करने के लिए सक्षम हैं , न कि तहसीलदार। रकबा राज नगरपालिका क्षेत्र में बहुत खाली पड़ा हैं। नगरपालिका में रकबा रहते हुए पंचायत क्षेत्र व दूसरे गांव की भूमि को इस प्रकार परिवर्तन करने का कानूनी प्रावधान नहीं हैं। अपीलान्ट के पास जीवन निर्वहन के लिए एकमात्र यही कृषि भूमि हैं, इस भूमि के रहते हुए अन्य रकबा भी आवंटन नहीं किया गया। नगरपालिका द्वारा आज तक मौका पर न तो भूमि का कब्जा लिया, न ही किसी प्रकार से कोई निर्माण या सुधार का कार्य किया गया हैं। अपीलान्ट जैरअपील भूमि का गैरखातेदार कृषक हैं व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विधिविरूद्व रूप से पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत अपील में देरी माफ की जाकर अपील स्वीकार की जावे। न्यायिक दृष्टांत RRT2011(1)page 262, RRT2009(1)page 468, RRT2009(2)page 757, RRD 2005 page 627, RRD 1998 page 319, RRD 1996 page 457, RRD 1996 page 425, RRD 1995 page 576 RRD 1993 page 502 की ओर ध्यान दिलाया।

4. रेस्पो. न. 1 के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुए कहा कि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया हैं। इसलिए बिना गुण व दोष देखे मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलान्ट के पिता को टी.सी. आवंटन था ना की अपीलान्ट को टी.सी. आवंटन नहीं हुआ हैं। अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं। इसलिए अपीलांट यह अपील पेश करने का अधिकारी नहीं है। जैर अपील रकबा की नगरपालिका को आबादी विस्तार हेतु आवश्यकता है व आवंटी के फौत होने के बाद उक्त टी.सी.नवीनीकरण का नहीं हुआ व टी.सी. आवंटन नियमों के अनुसार टी.सी. आवंटी के फौत होते ही टी.सी. आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. रेस्पो. न. 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस किया कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। जैरअपील इन्तकाल सही कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तस्दीक किया हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। ?

6. रेस्पो. संख्या 3 ता 5 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस लिखित जवाब को दौहराया व अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया।

उभय की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील रकबा अपीलान्ट के पिता को आराजी काश्त पर आवंटन किया गया था जो उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर निकाल देने पर गैरखातेदारी की श्रेणी में आ गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2011 में जैर अपील इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व आवंटी को कोई सूचना नहीं दी गई। वर्ष 2013 में अपीलांट के पिता उनका स्वर्गवास हो गया व अपीलान्ट पुत्र होने के नाते प्रथम श्रेणी का वारिस हैं जो अधिकार जैरअपील भूमि में अपीलान्ट के पिता को हासिल थे वो विरासतन आवंटी के वारिसान में समाहित हो गये। अस्थाई पट्टा धारकों में आवंटी के स्वर्गवास हो जाने पर 1955 की शर्त 4एफ में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

आवंटी के उतराधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया हैं व अलग से राज्य सरकार व जिला कलक्टर द्वारा जारी परिपत्रों में भी टी.सी. धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसों को अस्थाई पट्टा धारक व टीनेन्ट माना जावेगा। सम्बन्धित कानून व परिपत्रों का अध्ययन करने के बाद अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को हितबद्ध पक्षकार माना जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद कानून के प्रार्थना पत्र में सशपथ कहा हैं कि उसे या उसके पिता को जैरअपील इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व या बाद में भी कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई व नगरपालिका ने जैरअपील भूमि का कब्जा ले लिया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा इंतकाल स्वीकृति के समय अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 ता 5 को कोई नोटिस या सूचना दी हो ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट की पीठ के पीछे पारित हुआ है। इसलिए इन्तकाल की नकल लेने की दिनांक 19.06.2018 को ही सही रूप से ज्ञान हुआ कि अपीलान्ट के पिता को आवंटन हुई 40 बीघा भूमि में से 31 बीघा भूमि का इन्तकाल नगरपालिका के नाम कर दिया हैं। जब आवंटी भूमि पर काविज था रकबा नगरपालिका क्षेत्र से बाहर का, पचांयत क्षेत्र का था तो प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त हैं कि हितवद्ध पक्षकार के हितों के विपरीत कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक हैं। शपथ पत्र का खण्डन भी प्रत्युतर शपथ पत्र से नहीं दिया गया हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद कानून पर प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं कि जो निर्णय मूल रूप से एकतरफा तौर पर पारित किया गया हो व सम्बन्धित पक्षकार को निर्णय पारित करने से पूर्व सूचना देकर नहीं सुना गया हो तो ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई समय सीमा नहीं मानी जावेगी बल्कि जानकारी से ही समय सीमा मानी जावेगी। यह सिद्धान्त भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया हैं कि काश्तकार वर्ग अनपढ़ व ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में रहते हैं उनके प्रकरणों में मियाद कानून पर सहानुभूतिपूर्व विचार कर अपील का निर्णय गुण व दोष के आधार पर पारित किया जाना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास नहीं करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा अपील को मियाद में सुमार करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं व अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियार शुमार की जाकर अपील का निर्णय गुण व दोष के आधार पर किया जाता हैं।

अपीलान्ट के पिता का जैरअपील इन्तकाल का रकबा गैरखातेदारी का था तथा रकबा का आवंटन कभी खारिज नहीं किया गया। भूमि का कब्जा काश्त6 लगातार अपीलान्ट व उसके परिवार का चला आ रहा हैं। जैरअपील रकबा मानकसर की रोही का हैं जबकि नगरपालिका का अधिकार क्षेत्र कस्बा सूरतगढ़ के ही उपलब्ध रकबा राज में नगरपालिका को रकबा उपलब्ध करवाया जा सकता है। जैरअपील रकबा ग्राम पंचायत मानकसर का कृषि योग्य भूमि हैं। तहसीलदार को कृषि योग्य भूमि को आबादी क्षेत्र में परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने से जैरअपील इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही शुरू से ही अवैध व प्रभाव शून्य हैं। रकबा गैरखातेदारी हुए बहुत समय हो गया था इसलिए अपीलान्ट के जैरअपील रकबा के खातेदारी अधिकार समाहित हो गये थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट में पारित निर्णय में तहसीलदार रेस्पो. 3 पर पक्षकार थे उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल ने पैरवी की हैं वकील को जानकारी पक्षकार को जानकारी मानी जावेगी। तहसीलदार ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की हैं व आवंटन अधिकारी द्वारा भी पत्रावली का निस्तारण निश्चित समय अवधि में न करके दोनो ही अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की हैं। रिकार्ड से यह तथ्य साबित हैं कि अपीलान्ट के पिता को जैरअपील रकबा सन् 1982 में टी.सी. पर आवंटन किया गया था व बाद में पट्टा का नवीनीकरण होता रहा उसमें रकम मालकाना जमा होने व कब्जा काश्त की रिपोर्ट भी बराबर होती रही हैं। पत्रावली में प्रस्तुत नोटिफिकेशन से भी यह साबित हैं कि जैरअपील इन्तकाल का रकबा वर्ष 2008 में ही उपनिवेशन विभाग से प्रत्याहत कर दिया था व राज्य सरकार के आदेश जो पत्रावली में सलग्न हैं, में यह आदेश हैं कि टी.सी. आंवटी उपनिवेशन विभाग से प्रत्याहत के बाद कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत काश्तकार गैर खातेदारी की श्रेणी के होगें। जैरअपील इन्तकाल तस्दीक करते वक्त रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर का होने से गैरखातेदारी का था। इस प्रकार जैरअपील रकबा शुद्ध रकबा राज नहीं था। नगरपालिका ने भौतिक रूप से आज तक कब्जा नहीं लिया हैं व न ही रिकार्ड से कहीं साबित होता हैं कि अपीलान्ट को कानूनी रूप से जैरअपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

भूमि से बेदखल किया गया हो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूरतगढ़ राजस्व कर्मचारियों के लिए कॉलोनी हेतु सूरतगढ़ नगरपालिका के नाम से इन्तकाल दर्ज करना न्यायोचित नहीं था।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner